FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
crim-I

नाम अदालत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

शंकर बनाम भूरी

किस्म मुकदमा ——— नं. 84/दावा/ सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/10/24	वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा 188, 92'क' Rt Act के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री सत्यनारायण लवानिया ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 3.12.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	पुनःश्च वादी शंकरलाल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 cpc पेश कर निवेदन किया कि वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा मकान आदि का भी बंटवारा करवाना चाहता है जो राजस्व कोर्ट मे संभव नही है। इसलिए यह दावा विड्रो करने हेतु निवेदन किया। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विड्रो किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	